

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:- प.3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/4767

दिनांक:- 15.10.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

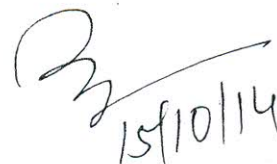
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
समस्त।विषय :- पंचायत आम चुनाव - 2015 हेतु पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों एवं अतिरिक्त
चुनाव चिन्हों की स्लिपों का मुद्रण।सन्दर्भ :- आयोग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 2741 दिनांक 02.07.2014 एवं 4409 दिनांक
30.09.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आगामी पंचायत आम चुनाव 2015 के लिए पंच व सरपंच के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के मतपत्रों का मुद्रण कार्य निविदायें आमंत्रित कर निजी मुद्रणालय के माध्यम से मुद्रित कराने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में चार पदों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे यानि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच। इन चारों पदों में से प्रत्येक पद के लिए मतपत्र भिन्न-भिन्न रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए मतपत्र के अतिरिक्त चुनाव चिन्हों की स्लिपें (Extra Slips of Symbols) भी मुद्रित होंगी। मुद्रित होने वाली मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिपों की वास्तविक संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर ही निर्धारित करेंगे, जो मतदाताओं की संख्या व मतदान केन्द्रों की संख्या पर आधारित होंगी। इसके अतिरिक्त आगामी पाँच वर्षों में होने वाले उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त मात्रा में मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों का मुद्रण करवाया जावे आयोग स्तर पर रिजर्व स्टॉक नहीं रखा जायेगा। पंच व सरपंच के मतपत्रों एवं अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण हेतु अनुमानित मात्रा का विवरण पत्र के साथ संलग्न है। मुद्रण होने वाली वास्तविक संख्या का आंकलन जिला स्तर पर किया जावे।

पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में मतदाताओं को NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पंच, सरपंच के मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के बाद NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) एवं इसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जाएगा। चूंकि पंच/सरपंच के निर्वाचन हेतु मतपत्र एवं एक्स्ट्रा स्लिप उपरोक्तानुसार मुद्रित पहले से ही करवा ली जाएगी। इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक युक्त स्टीकर सफेद एवं गुलाबी रंग में मतपत्र के रंग के अनुसार तैयार करवाये जाये, जो निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद अंकित चिन्ह पर मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप जैसी ही स्थिति हो पर चिपकाया जायेगा। इस हेतु स्टीकर्स को मुद्रित करवाकर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

सरपंच व पंच के मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिपों में कितने चुनाव चिन्ह छपेंगे एवं किस रंग के कागज पर छपेंगे, वह निम्न प्रकार से है :-

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| 1. सरपंच चुनाव के मतपत्र | 10 चिन्ह: | सफेद कागज पर |
| 2. पंच चुनाव के मतपत्र | 6 चिन्ह | पिंक कागज पर |
| 3. सरपंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप | 10 चिन्ह | सफेद कागज पर |
| 4. पंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप | 6 चिन्ह | पिंक कागज पर |
| 5. सरपंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप
(द्वितीय) | 8 चिन्ह | सफेद कागज पर |



पंच/सरपंच चुनाव हेतु विनिर्दिष्ट प्रतीक चिन्ह—

पंच/सरपंच चुनाव के अभ्यर्थियों को आवंटित किये जाने वाले चुनाव चिन्हों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना क्रमांक—3174 दिनांक 06.08.2014 (परिशिष्ट-2) के द्वारा विनिर्दिष्ट किया है। इस अधिसूचना में 40 चुनाव चिन्ह हैं, जिनमें से ही सरपंच मतपत्र, व एक्स्ट्रा स्लिप जिनमें 10-10 चिन्ह तथा इस बार एक अतिरिक्त स्लिप द्वितीय भी रखी गई है जिसमें 8 चिन्ह होंगे। यह तीनों सफेद कागज पर मुद्रित किये जायेंगे। पंच मतपत्र व एक्स्ट्रा स्लिप पिंक कागज पर मुद्रित की जायेगी प्रत्येक में 6-6 चिन्ह होंगे। इन चिन्हों का विवरण आगे दिया गया है।

मतपत्र सरपंच चुनाव हेतु :-

सरपंच के मतपत्र में निम्न चुनाव चिन्ह छपेंगे तथा यह मतपत्र सफेद कागज पर मुद्रित होगा:- सरपंच मतपत्र के चुनाव चिन्ह निम्नांकित हैं, जो इसी क्रम में छपेंगे। (Annexure IV)

- | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| (1) बल्ला | (2) आलमारी | (3) गुब्बारा | (4) बुश | (5) मोमबत्तियाँ |
| (6) कैमरा | (7) कोट | (8) गैस का चूल्हा | (9) बल्लेबाज़ | |
| (10) कांच का गिलास | | | | |

सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होने वाली दस चुनाव चिन्हों वाली एक्स्ट्रा स्लिपों में निम्नांकित चुनाव चिन्ह इस क्रम में आयेंगे :- (Annexure V)

- | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| (1) कप और प्लेट | (2) चारपाई | (3) छत का पंखा | (4) लेटर बॉक्स | (5) अंगूठी |
| (6) शटल | (7) वायलिन | (8) छड़ी | (9) बाल्टी | (10) बैटरी टार्च |

सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होने वाली द्वितीय स्लिप पर निम्नांकित चिन्ह इस क्रम में होंगे। (Annexure VI)

- | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------------|-----|
| (1) डीजल पम्प | (2) केतली | (3) हारमोनियम | (4) स्टूल | (5) मेज | (6) टेबिल लैम्प | (7) |
| टेलिविजन | (8) सीटी | | | | | |

उक्त एक्स्ट्रा स्लिप पंचायत समिति मुख्यालय पर भण्डारित रहेगी एवं 20 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने पर उपयोग में ली जावेगी एवं जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से वितरण कराया जायेगा।

मतपत्र पंच चुनाव हेतु :-

पंच चुनाव के मतपत्र पिंक कागज पर मुद्रित होंगे, इस मतपत्र में जो चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, वे निम्न प्रकार क्रम में आयेंगे :- (Annexure VII)

- | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| (1) पतंग | (2) प्रेशर कूकर | (3) कैची | (4) गैस सिलेण्डर | (5) नारियल | (6) सिलाई की मशीन |
|----------|-----------------|----------|------------------|------------|-------------------|
- एक्स्ट्रा स्लिप 6 चुनाव चिन्हों की (गुलाबी रंग के कागज पर) जो चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, वे इस क्रमवार निम्न प्रकार होंगे :- (Annexure VIII)

- | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| (1) डोली | (2) ब्रीफकेस | (3) प्रेस | (4) टेलीफोन | (5) आटोरिक्षा |
| (6) बोटल | | | | |

पंच/सरपंच मतपत्रों का प्रारूप :-

पंच/सरपंच के मतपत्र की लम्बाई, चौड़ाई, क्रम संख्या आदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित सांविधिक आदेश सं. प.4(2)(1)पंचा/रानिआ/94/94 दिनांक 12.9.94 के आदेश यथावत लागू होंगे।

सिम्बल ब्लॉक्स

वर्तमान में निजी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण कार्य ऑफसेट मुद्रण पद्धति से किया जाता है। जिसमें चुनाव चिन्ह कम्प्यूटर के माध्यम से **Scan** किये जाने के उपरान्त कार्य में लिये जाते हैं जिसमें सिम्बल ब्लॉक की आवश्यकता नहीं रहती। अतः मतपत्र मुद्रण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि चुनाव चिन्ह की **Scanning** के समय चुनाव चिन्हों में कोई भी अन्तर ना हो। चुनाव चिन्हों के

15/10/14

नमूनों की Soft Copy (सी.डी) आपको आयोग से उपलब्ध करवायी जावेगी यह सी.डी. आपके विशेष वाहक आयोग कार्यालय से अन्य सामग्री संग्रहण के समय प्राप्त कर लें।

मतपत्रों पर नम्बरिंग :-

मतपत्रों पर नम्बरिंग टाईप हाई मशीनों द्वारा किया जावेगा, जो 6 या 7 डिजिट में होगा, लेकिन पूरे जिले में या तो 6 डिजिट में नम्बरिंग कराये जायें या 7 डिजिट में। मतपत्र की नम्बरिंग के नीचे जिलों का कोड यानि आरजे-01, आरजे-02, आरजे-03 इत्यादि होंगे। इन मतपत्रों में काउन्टर फाइल नहीं होता है, केवल एक मतपत्र पर एक ही नम्बर लगेगा। एक्स्ट्रा स्लिपों पर नम्बर नहीं लगाया जावेगा।

बाईडिंग :-

100-100 मतपत्र या एक्स्ट्रा स्लिपों को स्टिचिंग मशीन से स्टिच किया जाकर उनका एक बण्डल बनाया जावेगा तथा 1000 मतपत्रों यानी 100-100 के 10 बण्डलों को मिला कर एक जगह पैक किया जावेगा। पैकिंग पेपर उसी रंग का होगा जिस रंग का मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप है। प्रत्येक बण्डल के ऊपर एक पैकिंग स्लिप लगेगी, जिसमें निम्न विशिष्टियाँ होंगी :-

पंच/सरपंच मतपत्र

जिले का नाम
कोड नम्बर
क्रम संख्या से तक

हस्ताक्षर चैकर/पैकर

मतपत्रों का नमूना व मात्रा :-

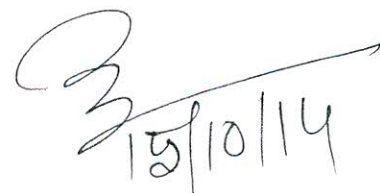
मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप में चुनाव चिन्ह बायें हाथ (Left Side) की तरफ छपेंगे। सरपंच मतपत्र, सफेद एक्स्ट्रा स्लिप, पंच मतपत्र एवं पिक कागज पर एक्स्ट्रा स्लिप का एक-एक नमूना क्रमशः परिशिष्ट-द्वितीय एक्स्ट्रा स्लिप IX, X, XI एवं XII संलग्न किया जा रहा है। मतपत्र आपके आंकलन अनुसार तादाद में छपेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुद्रण की मात्रा में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा। मुद्रण कराये जाते समय आगामी वर्षों में होने वाले उप चुनाव की अनुमानित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों का मुद्रण करवाया जावे। आयोग स्तर पर रिजर्व स्टॉफ नहीं रखा जायेगा। प्रत्येक जिले में क्रम संख्या 000001 या 0000001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जावेगी। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिये उस जिले की पहचान हेतु अलग-अलग सीरीज भी मुद्रित होगी। मतपत्र के TOP कालम में मतपत्र की क्रम संख्या के नीचे सीरीज संख्या (यानि जिले का कोड) लिखा जायेगा।

कागज की व्यवस्था में उपयोग होने वाले मतपत्र व अतिरिक्त स्लिप :-

मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रणालयों के माध्यम से जिला स्तर पर करवाया जावे। इन मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिप के मुद्रण हेतु कागज आप अपने जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से दिनांक 25.11.2014 तक प्राप्त कर लें। जिसके लिये निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से आप भी अपने स्तर पर सम्पर्क करें।

मुद्रण की अवधि :-

मतपत्रों का मुद्रण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रूफ जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। मुद्रण कार्य दिनांक 01.12.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। मतपत्रों/एक्स्ट्रा स्लिपों को मुद्रण करवाकर जिला स्तर पर सुरक्षित रख लिया जावे।


15/10/14

मुख्यालयों पर सुरक्षा व्यवस्था :-

चूंकि मुद्रण निजी मुद्रणालयों पर होना है, अतः मतपत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाये। मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालयों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था रखी जावे तथा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालय में प्रविष्ट न हो तथा मतपत्र, एक्स्ट्रा स्लिपें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुँच में नहीं आवें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समय मुद्रणालय में अन्य कोई मुद्रण कार्य नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(सत्य प्रकाश बसवाली)
सचिव

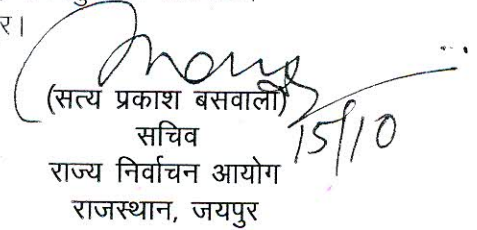
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/4768-4771

दिनांक:-15.10.2014

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुद्रण, लेखन एवं सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि दिनांक 25.11.2014 तक आवश्यक रूप से जिलेवार मांग के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उनके जिले से सम्बन्धित राजकीय मुद्रणालयों से कागज की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर को पालनार्थ।
4. पंचायत/लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(सत्य प्रकाश बसवाली)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

**STATEMENT SHOWING THE ESTIMATED NUMBER OF BALLOT PAPERS AND EXTRA SLIPS TO BE
PRINTED AND DISTRIBUTION FOR GENERAL ELECTION OF PANCH SARPANCH IN YEAR 2015**

Sr. No.	Name of District	Sarpanch Ballot papers (White Colour)		Extra Slips of Sarpanch Containing 10 symbols on white paper (without series no.) (Drum to Pot)	II Extra Slips of Sarpanch Containing 8 symbols on white paper (without series no.) (Drum to Pot)	Panch Ballot papers (Pink Colour) 6 symbols		Extra Slips of Panch containing 6 symbols on pink paper (without series no.) (Drum Pot)
		Series	Quantity			Series	Quantity	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ajmer	RJ-01/000001 to 1250000	1250000	375000	125000	RJ-01/000001 to 1250000	1250000	375000
2	Alwar	RJ-02/000001 to 2200000	2200000	660000	220000	RJ-02/000001 to 2200000	2200000	660000
3	Banswara	RJ-03/000001 to 988000	988000	296000	100000	RJ-03/000001 to 988000	988000	296000
4	Baran	RJ-04/000001 to 800000	800000	240000	80000	RJ-04/000001 to 800000	800000	240000
5	Barmer	RJ-05/000001 to 1540000	1540000	462000	150000	RJ-05/000001 to 1540000	1540000	462000
6	Bharatpur	RJ-06/000001 to 1440000	1440000	432000	140000	RJ-06/000001 to 1440000	1440000	432000
7	Bikaner	RJ-07/000001 to 1050000	1050000	315000	100000	RJ-07/000001 to 1050000	1050000	315000
8	Bhilwara	RJ-08/000001 to 1530000	1530000	459000	150000	RJ-08/000001 to 1530000	1530000	459000
9	Bundi	RJ-09/000001 to 750000	750000	225000	75000	RJ-09/000001 to 750000	750000	225000
10	Chhitorgarh	RJ-10/000001 to 1108000	1108000	332000	110000	RJ-10/000001 to 1108000	1108000	332000
11	Churu	RJ-11/000001 to 1300000	1300000	390000	130000	RJ-11/000001 to 1300000	1300000	390000
12	Dausa	RJ-12/000001 to 1050000	1050000	315000	100000	RJ-12/000001 to 1050000	1050000	315000
13	Dholpur	RJ-13/000001 to 700000	700000	210000	75000	RJ-13/000001 to 700000	700000	210000
14	Dungarpur	RJ-14/000001 to 920000	920000	276000	90000	RJ-14/000001 to 920000	920000	276000
15	Ganganagar	RJ-15/000001 to 1240000	1240000	372000	120000	RJ-15/000001 to 1240000	1240000	372000
16	Hanumangarh	RJ-16/000001 to 1180000	1180000	354000	110000	RJ-16/000001 to 1180000	1180000	354000
17	Jaipur	RJ-17/000001 to 2304000	2304000	693000	230000	RJ-17/000001 to 2304000	2304000	693000
18	Jaisalmer	RJ-18/000001 to 375000	375000	112000	40000	RJ-18/000001 to 375000	375000	112000

19	Jalore	RJ-19/000001 to 1290000	1290000	387000	130000	RJ-19/000001 to 1290000	1290000	387000
20	Jhunjhunu	RJ-20/000001 to 1425000	1425000	427000	140000	RJ-20/000001 to 1425000	1425000	427000
21	Jhalawar	RJ-21/000001 to 960000	960000	288000	96000	RJ-21/000001 to 960000	960000	288000
22	Jodhpur	RJ-22/000001 to 1650000	1650000	495000	165000	RJ-22/000001 to 1650000	1650000	495000
23	Karauli	RJ-23/000001 to 880000	880000	264000	88000	RJ-23/000001 to 880000	880000	264000
24	Kota	RJ-24/000001 to 760000	760000	228000	75000	RJ-24/000001 to 760000	760000	228000
25	Nagaur	RJ-25/000001 to 2160000	2160000	648000	215000	RJ-25/000001 to 2160000	2160000	648000
26	Pali	RJ-26/000001 to 1500000	1500000	450000	150000	RJ-26/000001 to 1500000	1500000	450000
27	Rajsamand	RJ-27/000001 to 900000	900000	270000	90000	RJ-27/000001 to 900000	900000	270000
28	Sawaimadhopur	RJ-28/000001 to 850000	850000	255000	85000	RJ-28/000001 to 850000	850000	255000
29	Sikar	RJ-29/000001 to 1720000	1720000	516000	170000	RJ-29/000001 to 1720000	1720000	516000
30	Sirohi	RJ-30/000001 to 680000	680000	204000	70000	RJ-30/000001 to 680000	680000	204000
31	Tonk	RJ-31/000001 to 950000	950000	285000	95000	RJ-31/000001 to 950000	950000	285000
32	Udaipur	RJ-32/000001 to 1650000	1650000	495000	165000	RJ-32/000001 to 1650000	1650000	495000
33	Pratapgarh	RJ-33/000001 to 900000	900000	270000	90000	RJ-33/000001 to 900000	900000	270000
Total			40000000	12000000	3969000		40000000	12000000

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावन 15, बुधवार, शाके 1936-अगस्त 6, 2014 <i>Shravana 15, Wednesday, Saka 1936-August 6, 2014</i>	

भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 6, 2014

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.IV/3174:- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29 के उपनियम (3) तथा सपटित नियम 56 के उपबन्धों के अंतर्गत पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक आवंटित किया जायेगा। अतः राज्य निर्वाचन आयोग पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 7(1)(7) पंचा/रानिआ/09/वा.IV/2479 दिनांक 29-7-09 को अधिकृत करते हुए निम्नांकित सारणी में वर्णित निर्वाचन प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करता है -

सारणी

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
1	2	1	2
1.	बल्ला	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	केतली
3.	गुब्बारा	23.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	24.	स्टूल
5.	मोमबत्तियां	25.	मेज
6.	कैमरा	26.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	27.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	बल्लेबाज	29.	पतंग
10.	कांच का गिलास	30.	प्रेसर कुकर
11.	कप और प्लेट	31.	कैची
12.	चारपाई	32.	गैस सिलेण्डर
13.	छत का पंखा	33.	नारियल
14.	लेटर बॉक्स	34.	सिलाई की मशीन
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	शटल	36.	ब्रीफकेस
17.	वायलिन	37.	प्रेस
18.	छड़ी	38.	टेलीफोन
19.	बाल्टी	39.	ऑटो रिक्शा
20.	बैटरी टार्च	40.	वोटल

आदेश से,
सत्यप्रकाश बसवाला,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

ORDER

S.O. No.1/94 - In pursuance of sub-rule (4) of rule 29 of the Rajasthan panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission, hereby directs that the form of Ballot Paper for election of Panch and Sarpanh shall be as indicated below:-

- (1) Every Ballot Paper for Panch and Sarpanh election shall have a top column which shall ordinarily be of the depth of 6 ^{cms} ~~cms~~. The top column shall contain the following:-
 - a) Black border line at the top.
 - b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side
 - c) "Number and Name of Panchayat" on the Ballot Paper of Sarpanh on the right hand side.
 - d) "Number and Name of Panchayat" and "Ward No." on right hand side on the Ballot Paper of Panch one below the other.
 - e) Black border line below, separating Ballot Paper from the top column.
- (2) The front face of the ballot paper will contain only the particular of election viz. "Panch Chunav" or "Sarpanh Chunav", as the case may be in the first shaded area, the space for name of contesting candidates on right hand side and the symbols of the candidates on the left hand side.
- (3) The width of the ballot paper will be 4"
- (4) The width of the space allotted the each candidate will be 6 Cms. and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates will be 3 cms. There will be a black border line at the bottom of ballot paper.
- (5) The length of the Ballot Paper will be according to the contesting candidates.

BY ORDER
(B.B. MOHANTY)
SECRETARY

STATE ELECTION COMMISSION RAJASTHAN, JAIPUR.

NO.F.4(2) (1) P/SEC/94/94

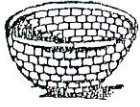
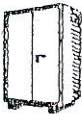
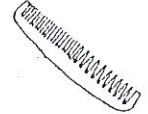
JAIPUR, DATED 12 SEP., 94

Copy to:-

1. All District Election Officers (Panchayat)
2. All Sub Divisional Officers.
3. All sections of the State Election Commission.

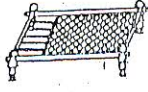
SECRETARY,
STATE ELECTION COMMISSION

(अ) सरपंच मत-पत्र (सफेद-10 चिन्ह)

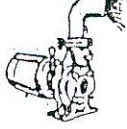
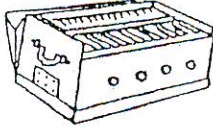
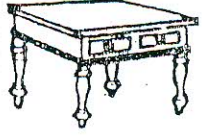
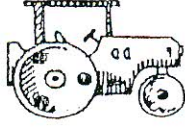
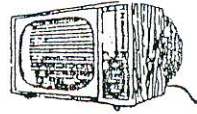
नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1. बल्ला		6. मोमबत्तियां	
2. टोकरी		7. कैमरा	
3. आलमारी		8. कोट	
4. गुब्बारा		9. कंघा	
5. खुश		10. गैस का चूल्हा	

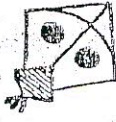
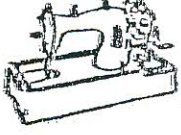


(अ) एकसद्री स्लिप (सफेद रंग 10 चिन्ह) (सरपंच चुनाव के लिए)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1. बल्लेबाज		6. लेटर बाक्स	
2. कौय का गिलास		7. अंगूठी	
3. कप और प्लेट		8. शटल	
4. चारपाई		9. वायलिन	
5. छत का पंखा		10. छड़ी	

(स) पंच मत-पत्र (पिंक कलर-10 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1. डीजल पम्प		6. जग	
केतली		7. स्टूल	
3. हारमोनियम		8. मेज	
4. रोड रोलर		9. टेबिल लैम्प	
ट्रेन		10. टेलीविजन	

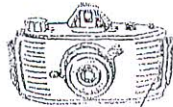
नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1. सीटी		6. नारियल	
2. पंतग		7. सिलाई की मशीन	
3. प्रेशर कुकर		8. डोली	
4. कैंची		9. बीफकेस	
5. गैस सिलेन्डर		10. प्रेस	

ENC 086090

123 03



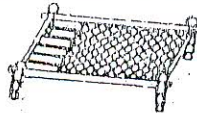
संरक्षित पुस्तक



SAMPLE

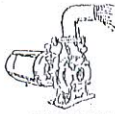
सफेद वस्त्रा स्लाप
(संपन्न कुवाव)

124

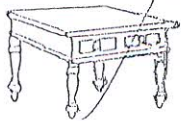
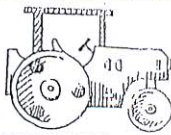
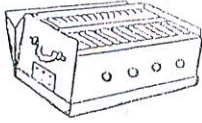


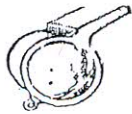
SAMPLE

साम पंचायत क्षेत्र.....
N^o 0329191
RJ-33 वार्ड संख्या.....



पंच सुभाव





12x



P2



20



